वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार।

14वीं प्रबन्ध परिषद् की बैठक कार्यवृत्त

(Minutes of 14th Meeting of the Board of Management)

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार (पौड़ी गढ़वाल) की प्रबंध परिषद् की 14वीं बैठक दिनांक 22 जुलाई, 2023 को शोध एवं प्रसार केन्द्र सेलाकुईं देहरादून में मा0 कुलपति (अध्यक्ष प्रबंध परिषद) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें परिषद् के निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:–

1. श्री रणवीर सिंह, अपर सचिव कृषि / निदेशक उद्यान विभाग	--	सदस्य
2. श्री के0सी0 पाठक, अपर निदेशक, कृषि निदेशालय	--	सदस्य
3. डा0 प्रभात कुमार, वैज्ञानिक, आई.सी.ए.आर. (वर्चुअली उपस्थित)	--	सदस्य
4. श्री प्रेमचन्द शर्मा, प्रगतिशील किसान	--	सदस्य
5. डा0 कमल सिंह, पशुधन प्रजनक	--	सदस्य
6. प्रो0 एम0सी0 नौटियाल, कृषि विशेषज्ञ	--	सदस्य
7. डा0 अमोल वशिष्ठ, निदेशक शोध	--	सदस्य
8. डा0 अरविन्द बिजल्वाण, अधिष्ठाता वानिकी महाविद्यालय रानीचौरी	--	सदस्य
9. डा0 एस0पी0 सती, कुलसचिव	--	सदस्य सचिव

बैठक के आरंभ में कुलसचिव के अनुरोध पर अधिष्ठाता वानिकी महाविद्यालय एवं निदेश शोध के द्वारा मा0 कुलपति जी/अध्यक्ष प्रबंध परिषद् का पुष्पगुच्छ भेट कर स्वागत किया गया तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित प्रबध परिषद् के समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया। मा0 कुलपति जी/अध्यक्ष महोदय की आज्ञा उपरांत सदस्य सचिव के द्वारा कार्यसूची (Agenda) के प्रस्तावों को प्रबंध परिषद् के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। परिषद् द्वारा कार्यसूची के प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिए गए:–

कार्यसूची संख्याः UUHF/BOM/14/01: दिनांक 19 नवम्बर, 2022 को सम्पन्न प्रबंध परिषद् की 13वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टीकरणः–

प्रबंध परिषद् के द्वारा 13वीं बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन कर कार्यवाही का संज्ञान लेते हुए कार्यवक्त का पुष्टीकरण किया गया।

कार्यसूची संख्याः UUHF/BOM/14/02: 13 वी प्रबंध परिषद् की बैठक में लिए गए निर्णयों पर कृत कार्यवाहीः–

प्रबंध परिषद् द्वारा 13वीं बैठक के ऐसे प्रकरणों, जिन पर अद्यावधि कार्यवाही नहीं की गई है, पर यथाशीघ्र कार्यवाही पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए।

कार्यसूची संख्याः **UUHF/BOM/14/03:** शैक्षणिक परिषद् (विद्वत परिषद्) में लिए गए निर्णयों का पुष्टीकरण / अनुमोदन / सूचनाः–

(i)- सहायक अध्यापक तथा लाइब्रेरियन के पदों हेतु विज्ञप्ति सं0 UUHF/DT/F.No./01/01/2020 दिनाँक 11.09.2020 को निरस्त करने के संबंध में:–

उक्त विज्ञप्ति को जारी हुये दो वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो गया था, जिस कारण शैक्षणिक परिषद् की 18वीं बैठक में (12 अप्रैल, 2023) उक्त विज्ञापन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। (Agenda UUHF/AC/18/01)।

शैक्षणिक परिषद के उक्त निर्णय का प्रबंध परिषद द्वारा पुष्टीकरण किया गया।

(ii)- 5वीं डीन कमैटी तथा बी0एस0एम0ए0 2021 की अनुशंसाओं तथा वि0वि0 के अधिदेश (Mandate) (University Act of 28th April, 2011) के अनुरूप विषयों का सृजन एवं शैक्षणिक पदों का वितरणः–

5वीं डीन कमैटी तथा बी0एस0एम0ए0 2021 की अनुशंसाओं तथा वि0वि0 के अधिदेश (Mandate) (University Act of 28th April, 2011) के अनुरूप विभिन्न अनुशासनों यथा Animal Husbandry & Veternary Science, Fisheries Sciences, Eco-tourism इत्यादि के अनुरूप विषयों का सृजन तथा आचार्य, सह–आचार्य तथा सहायक आचार्य के रिक्त पदों में से नवसृजित विषयों के लिये औचित्यपूर्ण वितरण का निर्णय शैक्षणिक परिषद की 18वी बैठक में (12 अप्रैल, 2023) (Agenda UUHF/AC/18/01) लिया गया है।

शैक्षणिक परिषद के उक्त निर्णय का प्रबंध परिषद द्वारा पुष्टिकरण किया गया।

(iii)- 5वीं डीन कमैटी तथा बी0एस0एम0ए0 2021 की अनुशंसाओं तथा वि0वि0 के अधिदेश (Mandate) (University Act of 28th April, 2011) के अनुरूप विभागों का पुनर्गठन तथा स्नातकोत्तर डिग्रियों का नामकरणः–

5वीं डीन कमैटी तथा बी0एस0एम0ए0 2021 की अनुशंसाओं तथा वि0वि0 के अधिदेश (Mandate) (University Act of 28th April, 2011) के अनुरूप औद्यानिकी महाविद्यालय भरसार एवं वानिकी महाविद्यालय रानीचौरी के विभिन्न विभागों का शैक्षणिक परिषद् की 19वी बैठक में (कार्यवृत्त बिन्दू संख्या UUHF/AC/19/14) पुनर्गठन किया गया है।

शैक्षणिक परिषद के उक्त निर्णय का प्रबंध परिषद द्वारा पुष्टिकरण किया गया।

(iv)- विश्वविद्यालय के अन्तर्गत अंतर्राष्ट्रीय छात्र केंद्र तथा कौशल विकास केंद्र की स्थापनाः–

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न विश्वविद्यालय एवं उनके छात्र–छात्राओं के अकादमिक आदान–प्रदान के उद्देश्य से देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय छात्र केंद्र तथा कौशल विकास केंद्र की स्थापना की गई है, जो कि छात्र–छात्राओं के बहुमुखी विकास एवं रोजगार के अवसरों हेतु उपयोगी सिद्ध हो रहे है। इसी तर्ज पर शैक्षणिक परिषद् की 19वी बैठक में (कार्यवृत्त बिन्दू संख्या UUHF/AC/19/05) विश्वविद्यालय के अन्तर्गत अंतर्राष्ट्रीय छात्र केंद्र तथा कौशल विकास केंद्र की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है।

शैक्षणिक परिषद के उक्त निर्णय का प्रबंध परिषद द्वारा पुष्टिकरण किया गया।

(v)- निदेशक शैक्षणिक, निदेशक शोध, वानिकी, कृषि वानिकी, वन उत्पाद, फार्म प्रबंधन तथा ऐसे अन्य विषयों एवं प्रकोष्ठों में अतिथि शिक्षक की नियुक्ति विषयक:–

शैक्षणिक परिषद् की 19वी बैठक में (कार्यवृत्त बिन्दू संख्या UUHF/AC/19/07) विश्वविद्यालय के अन्तर्गत निदेशक शैक्षणिक, निदेशक शोध, वानिकी, कृषि वानिकी, वन उत्पाद, फार्म प्रबंधन तथा ऐसे अन्य विषयों एवं प्रकोष्ठों में अतिथि शिक्षक की नियुक्ति किए जाने का निर्णय लिया गया है, जो कि विश्वविद्यालय की परिनियमावली की धारा 8(क)(दस) के अनुसार कुलपति के अधिकार क्षेत्र में आता है। *(विश्वविद्यालय में किसी भी श्रेणी के शिक्षक/अधिकारी/कार्मिक की स्थायी नियुक्ति में विलम्ब की संभावना हो तो अधिनियम की धारा 13(6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष परिस्थितियों में, जहां तत्काल नियुक्ति किया जाना विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों की निरंतरता हेतु आवश्यक हो एवं नियमित नियुक्तियों में विलम्ब की संभावना हो, कुलपति किसी भी श्रेणी के नितान्त आवश्यक पदों पर योग्यता के आधार पर कामचलाऊ/अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग द्वारा नियुक्ति कर सकेंगे। परन्तु जिन पदों हेतु नियुक्ति प्राधिकारी प्रबन्ध परिषद है, उसके लिये प्रबन्ध परिषद का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।)*

उक्त अतिथि शिक्षकों से अध्यापन के अतिरिक्त शोध, प्रसार, परीक्षा एवं प्रशासनिक आदि कार्य भी लिए जाते है। यदि इन अतिथि शिक्षकों से अध्यापन कार्य कराया जाता है तो उन्हें विश्वविद्यालय नियमानुसार प्रति व्याख्यान मानदेय अनुमन्य होगा किन्तु यदि इन अतिथि शिक्षकों से अध्यापन के इतर अन्य कार्य यथा शोध, प्रसार, परीक्षा एवं प्रशासनिक आदि कार्य लिया जाता है, तो केवल स्नातकोत्तर डिग्री धारकों को धनराशि रू0 1000.00 प्रतिदिन तथा नेट एवं पी.एच.डी धारको को 1500.00 प्रतिदिन देय होगा, जो माह में क्रमशः धनराशि रू0 24000.00 तथा रू0 35000.00 से अधिक नहीं होगा। उक्तानुसार प्रस्ताव पर प्रबंध परिषद् का अनुमोदन प्रस्तावित है।

शैक्षणिक परिषद के उक्त निर्णय का प्रबंध परिषद द्वारा पुष्टिकरण करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

(vi)- कार्यसूची संख्या: UUHF/BOM/14/12: श्री प्रेम चंद शर्मा, प्रगतिशील किसान (पद्यम श्री) को विश्वविद्यालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की सूचना विषयक:–

विश्वविद्यालय की विस्तार गतिविधियों को बल प्रदान करने तथा किसान से किसान विस्तार के माध्यम से पर्वतीय किसानों के लिए अनुसंधान प्रौद्योगिकी की दृश्यता एवं अनुकूलन को बढ़ाने के उद्देश्य से श्री प्रेम चंद शर्मा, पद्मश्री, (प्रगतिशील किसान), ग्राम हटाल, तहसील त्यूणी, जिला देहरादून (उत्तराखण्ड) को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद् की 19वी बैठक में (कार्यवृत्त बिन्दू संख्या UUHF/AC/19/19) विश्वविद्यालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

शैक्षणिक परिषद के उक्त निर्णय से प्रबंध परिषद को अवगत कराया गया।

कार्यसूची संख्याः UUHF/BOM/14/04: विश्वविद्यालय के विज्ञप्ति परिपत्र संख्या यू0यू0एच0एफ0/प्रतिनियुक्ति–वर्ष 2023/1 दिनांक 02.02.2023 द्वारा विज्ञापित पदों के सापेक्ष प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कार्मिकों की संपुष्टि विषयक :–

विश्वविद्यालय के विज्ञप्ति परिपत्र संख्या यू0यू0एच0एफ0/प्रतिनियुक्ति–वर्ष 2023/1 दिनांक 02.02.2023 के द्वारा विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति/पे माईनस पेंशन के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसके क्रम में श्री धीरज कुमार उपाध्याय को प्रतिनियुक्ति के आधार पर सहायक कुलसचिव के पद पर चयनित किया गया है। सम्बन्धित के द्वारा दिनांक 18.05.2023 को विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। सूच्य है कि विश्वविद्यालय की विज्ञप्ति परिपत्र सं0 यू0यू0एच0एफ0/प्रतिनियुक्ति–वर्ष 2023/1 दिनांक 02/02/2023 के सापेक्ष **श्री धीरज कुमार उपाध्याय की प्रतिनियुक्ति (पे स्केल रु0 9300–34800 ग्रेड पे–4200/--) एक वर्ष के लिए की गई है, जबकि श्री उपाध्याय अपने मूल विभाग (उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय) में (पे स्केल 29200–92300 लेवल–5)** पर स्थाई रूप से कार्यरत हैं।

प्रबंध परिषद् द्वारा प्रतिनियुक्ति का पुष्टीकरण करते हुए प्रकरण को सूचनार्थ शासन को प्रेषित किए जाने की संस्तुति की गई।

(कार्यवाही– कुलसचिव)

कार्यसूची संख्याः UUHF/BOM/14/05: विश्वविद्यालय के विज्ञप्ति परिपत्र संख्या यू0यू0एच0एफ0/प्रतिनियुक्ति–वर्ष 2023/2 दिनांक 03.05.2023 द्वारा विज्ञापित पदों के सापेक्ष प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कार्मिकों की संपुष्टि विषयक

विश्वविद्यालय के विज्ञप्ति परिपत्र संख्या दिनांक 02.02.2023 के द्वारा विज्ञापित पदों पर अधिकांश पदों के सापेक्ष अर्ह अभ्यर्थी प्राप्त न होने के कारण विज्ञप्ति परिपत्र संख्या यू0यू0एच0एफ0/प्रतिनियुक्ति–वर्ष 2023/2 दिनांक 03.05.2023 के द्वारा विभिन्न पदो पर प्रतिनियुक्ति/पे माईनस पेंशन के आधार पर नियुक्ति हेतु पुनर्विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसके क्रम में चयन प्रक्रिया पूर्ण कर वित्तीय सलाहकार, लेखाधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी के विज्ञापित पदों पर नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए है।

उपरोक्त के अतिरिक्त विज्ञप्ति में अवशेष पदो के सापेक्ष प्राप्त आवेदनों पर नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है, जो शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएगी।

प्रबंध परिषद् द्वारा प्रतिनियुक्ति का पुष्टीकरण करते हुए प्रकरण को सूचनार्थ शासन को प्रेषित किए जाने की संस्तुति की गई।

(कार्यवाही– कुलसचिव)

कार्यसूची संख्याः UUHF/BOM/14/06: विज्ञप्ति सं0 UUHF/DT/F.No./01/01/2020 दिनाँक 11.09.2020 के विपरीत आवेदकों का आवेदन शुल्क वापस किए जाने सम्बन्धीः–

उक्त विज्ञापन को निरस्त किये जाने के कारण विज्ञप्ति के विपरीत विभिन्न पदों पर आवेदन करने वाले समस्त आवेदकों के आवेदन शुल्क में से विनिमय शुल्क धनराशि रू0 100/-- की कटौती करते हुए अवशेष धनराशि सम्बन्धित आवेदकों को वापस किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रबंध परिषद् द्वारा प्रकरण का पुष्टीकरण किया गया।

कार्यसूची संख्याः UUHF/BOM/14/07: विश्वविद्यालय एवं CSIR-INSTITUTE OF HIMALAYAN BIORESOURCE TECHNOLOGY (CSIR-IHBT), PALAMPUR के मध्य सहयोगात्मक शैक्षणिक, शोध एवं विकास, प्रसार एवं अन्य गतिविधियों समझौता ज्ञाप (MoU):–

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार एवं **CSIR-INSTITUTE OF HIMALAYAN BIORESOURCE TECHNOLOGY (CSIR-IHBT), PALAMPUR** के मध्य दिनांक 19.06.2023 को समझौता ज्ञाप निष्पादित किया गया जिस पर विश्वविद्यालय की ओर से मा0 कुलपति भरसार विश्वविद्यालय एवं **CSIR-IHBT** की ओर से निदेशक **CSIR-IHBT** द्वारा समझौता ज्ञाप पर हस्ताक्षर किए गए जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों संस्थानों के मध्य शैक्षणिक, शोध एवं विकास, प्रसार एवं अन्य गतिविधियों हेतु पारस्परिक एवं सहयोगात्मक क्रिया–कलापों को प्रोत्साहित करना है।

प्रबंध परिषद् द्वारा समझौता ज्ञाप का पुष्टीकरण करते हुए इस प्रकरण को सूचनार्थ शासन को प्रेषित किए जाने की संस्तुति की गई।

(कार्यवाही– कुलसचिव)

कार्यसूची संख्याः UUHF/BOM/14/08: विश्वविद्यालय में विभिन्न शैक्षणिक, लाईब्रेरियन तथा प्रशासनिक रिक्त पदों की नियमित भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ किए जाने सम्बन्धीः–

विश्वविद्यालय में विभिन्न रिक्त शैक्षणिक, लाईब्रेरियन एवं प्रशासनिक पदों पर शीघ्रातिशीघ्र नियमित भर्ती/प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी है विश्वविद्यालय के शैक्षणिक संवर्ग में कुल 114 पद (11 प्रोफेसर, 38 एसोसिएट प्रोफेसर, 65 असिस्टेंट प्रोफेसर) एवं 02 अधिष्ठाता, 01 कुलसचिव, 01 अतिरिक्त निदेशक तथा 01 संयुक्त निदेशक अर्थात् कुल 119 पद रिक्त है जिनके सापेक्ष प्रथम चरण में **शासन द्वारा स्वीकृत रोस्टर के अनुसार** कुल 82 पदों का विज्ञापन जारी किया जा रहा है। शेष 37 पदों को चरणबद्ध रूप से विज्ञापित कर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

प्रबंध परिषद् द्वारा उक्त एजेण्डे पर विचारोपरान्त सहमति प्रदान की गई।

कार्यसूची संख्याः UUHF/BOM/14/09: विश्वविद्यालय में जिन पदो पर द्वितीय चरण में भर्ती प्रक्रिया की जानी है, के विपरीत विषय सलाहकार/Adjunct Faculty नियुक्त किए जाने विषयकः–

प्रथम चरण के पदो पर भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जा रही है जबकि अवशेष 37 पदों पर द्वितीय चरण की भर्ती प्रक्रिया में समय लगने की सम्भावना है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में आई0सी0ए0आर0 से प्रत्यायन की प्रक्रिया गतिमान है। आई0सी0ए0आर0 प्रत्यायन के मानकों की पूर्ति हेतु शिक्षको की नियुक्ति की जानी नितान्त आवश्यक है।

प्रबंध परिषद् द्वारा उक्त एजेण्डे पर विचारोपरान्त इसे आगामी विशेष बैठक में परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किए जाने में सहमति दी गई।

कार्यसूची संख्या: UUHF/BOM/14/10: सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के सापेक्ष कार्यरत सहायक प्राध्यापक (संविदा) का अनुबंध दिनांक 31 मार्च 2024 तक विस्तारित किए जाने विषयक:–

विभिन्न विभागों में सहायक प्राध्यापकों के सृजित पदों के विपरीत स्थायी नियुक्ति होने तक सहायक प्राध्यापक (संविदा) की नियुक्तियां की गई है। वर्तमान में जारी भर्ती प्रक्रिया में समय लगने की सम्भावना है। विश्वविद्यालय में आई.सी.ए.आर. के प्रत्यायन की प्रक्रिया गतिमान है। उक्त के दृष्टिगत संविदा के आधार पर विश्वविद्यालय में नियुक्त सहायक प्राध्यापकों का **अनुबंध कार्मिक विभाग के शासनादेश सं0 111(1)XXX(2)/2018-30(12)2018** दिनांक 27 अप्रैल 2018 का **अनुपालन करते हुए** पुनः 31 मार्च 2024 अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, तक की अवधि हेतु विस्तारित किया जाना आवश्यक है।

प्रबंध परिषद् द्वारा प्रस्ताव पर नियमानुसार कार्यवाही किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही– कुलसचिव)

कार्यसूची संख्या: UUHF/BOM/14/11: श्री देवदत्त शर्मा, आई.ए.एस (सेवानिवृत्त) को कुलसचिव के रिक्त पद के सापेक्ष पूर्णकालिक विशेष कार्याधिकारी नियुक्त किए जाने के सम्बन्ध में:–

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार में कुलसचिव के रिक्त पद के सापेक्ष पूर्णकालिक विशेष कार्याधिकारी के रूप में श्री देवदत्त शर्मा, सेवानिवत्त आई.ए.एस. अधिकारी की नियुक्ति का प्रस्ताव विश्वविद्यालय के पत्र संख्या UUHF/VC/129 दिनाँक 30.05.2023 के माध्यम से उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया गया था जिसमें उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस विषय में पत्रांक सं0 686/XIII-2/2023 -06(12)/2023 दिनांक 11.07.2023 के माध्यम से सूचित किया गया है कि *"उक्त प्रस्ताव नियमों में इतर व पोषणीय न होने के कारण प्रस्ताव पर विचार करने किये जाने का कोई अवसर नही है। अतः रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विद्यमान नियमों के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करें।"*

उक्त के आलोक में विश्वविद्यालय परिनियमावली 2014 की धारा 08(क) के बिन्दू संख्या 10 के अनुसार **"विश्वविद्यालय में किसी भी श्रेणी के शिक्षक/ अधिकारी/कार्मिक की स्थायी नियुक्ति में विलम्ब की सम्भावना हो तो अधिनियम की धारा 12(6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, विशेष परिस्थितियों में, जहां तत्काल नियुक्ति किया जाना विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों की निरंतरता हेतु आवश्यक हो एवं नियमित नियुक्तियों में विलम्ब की संभावना हो, कुलपति किसी भी श्रेणी के नितांत आवश्यक पदों पर योग्यता के आधार पर कामचलाऊ/अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत आउटसोर्सिंग द्वारा नियुक्त कर सकेगें। परन्तु जिन पदों हेतु नियुक्त प्राधिकारी प्रबंध परिषद है, उसके लिये प्रबंध परिषद का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।"**

श्री शर्मा को कुलसचिव के रिक्त पद के सापेक्ष विश्वविद्यालय के आय के संसाधनों से न्यूनतम धनराशि रू0 1,50,000.00 (पे माईनस पेंशन के आधार पर) के मासिक भुगतान पर विशेष कार्याधिकारी सह सलाहकार वित्त के रूप में नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है। इनका वेतन भुगतान विश्वविद्यालय आय स्रोत से किया जाएगा।

प्रबंध परिषद् द्वारा उक्त एजेण्डे को आगामी विशेष बैठक में परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की सहमति दी गई।

कार्यसूची संख्या: UUHF/BOM/14/12: विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कार्मिकों की सेवाओं के विश्वविद्यालय में आमेलन/संविलियन सम्बन्धी नियमावली बनाए जाने विषयक:–

दिनाँक 22 सितम्बर, 2015 को सम्पन्न माननीय प्रबंध परिषद द्वितीय बैठक के संकल्प संख्या 2/10 में प्रबंध परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कार्मिकों की सेवाओं के विश्वविद्यालय में आमेलन/संविलियन संबंधी नियमावली बनाने का निर्देश दिया गया था किन्तु कतिपय कारणों से इस पर कार्यवाही अभी तक लंबित है। मा0 प्रबंध परिषद् के उक्त निर्देश के अनुपालन में संविलियन संबंधी नियमावली बनाते हुए शासन को प्रेषित किए जाने हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जानी प्रस्तावित है:–

1. निदेशक प्लेसमेंट – अध्यक्ष
2. निदेशक शोध – सदस्य
3. निदेशक शैक्षणिक – सदस्य

प्रबंध परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही– कुलसचिव)

कार्यसूची संख्या: UUHF/BOM/14/13: विश्वविद्यालय में कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के स्थान पर शासन द्वारा स्वीकृत पदनाम प्रयोशाला सहायक करने सम्बन्धी शासनादेश संख्या 455/XIII-2/2023–06(02)/2022 दिनांक 27.04.2023 को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किए जाने विषयक:–

कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 455/XIII-2/2023–06(02)/2022 दिनांक 27.04.2023 के द्वारा गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर, उधमसिंहनगर में कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के स्थान पर शासन द्वारा स्वीकृत पदनाम प्रयोगशाला सहायक किए जाने विषयक आदेश जारी किए गए है। उक्त शासनादेश की प्रति कुलसचिव भरसार विश्वविद्यालय को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्टांकित है, के आलोक में शासनादेश दिनांक 27.04.2023 को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किया जाना प्रस्तावित है

प्रबंध परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही– कुलसचिव)

कार्यसूची संख्या: UUHF/BOM/14/14: विश्वविद्यालय के विधिक कार्यो के सम्पादन हेतु विधिक सलाहकार आबद्ध किए जाने हेतु दरों को विश्वविद्यालय में लागू किए जाने के निमित्त शासनादेश संख्या XXXVI-A-1/2020–43/एक (1)/2003 दिनांक 18.03.2020 को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किए जाने विषयक:–

विश्वविद्यालय में विधि कार्यो के सम्पादन हेतु विधिक सलाहकार नियुक्त किए जाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 29.04.2023 को सम्पन्न हुई जिसमें समिति द्वारा उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या XXXVI-A-1/2020–43/एक (1)/2003 दिनांक 18.03.2020 में मा0 उच्च न्यायाल, नैनीताल उत्तराखण्ड में

विधि अधिकारियों को आबद्ध करने हेतु निर्धारित दरों को पूर्णतः विश्वविद्यालय में लागू किए जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति की गई, के आलोक में कार्यालय ज्ञाप संख्या UUHF/REG/74/2023-24 दिनांक 04.05.2023 के द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 18.03.2020 को प्रबंध परिषद् से अनुमोदन की प्रत्याशा में अंगीकृत किया गया है।

प्रबंध परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही– कुलसचिव)

मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्तावः–

कार्यसूची संख्याः UUHF/BOM/14/15: विश्वविद्यालय की प्रबंध परिषद् की आगामी विशेष बैठक आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में:–

प्रबंध परिषद् द्वारा शीघ्र ही विशेष बैठक आहूत किए जाने के निदेश दिए गए।

बैठक के अन्त में मा0 कुलपति जी/अध्यक्ष प्रबंध परिषद् के द्वारा परिषद् के सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा बैठक के समापन की घोषणा की गई।

Dated : 27/07/2023

(डा0 एस0पी0 सती)
कुलसचिव/सदस्य सचिव
प्रबंध परिषद्

पुष्टीकृत (Confirmed)

(डा0 परविन्दर कौशल)
कुलपति/अध्यक्ष
प्रबंध परिषद्